



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)

PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 296]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 28, 2010/ज्येष्ठ 7, 1932

No. 296]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 28, 2010/JYAISTHA 7, 1932

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मई, 2010

सा.का.नि. 455(अ).—केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) की धारा 18क की उप-धारा (2) के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 18 की उक्त उप-धारा (2) के प्रयोजन हेतु 1 जून, 2010 को नियत दिन के रूप में निर्धारित करती है।

[फा. सं. 3/2010-सी.एस.टी./फा. सं. 28/9/2006-(राज्य कर)]

आर. जी. छाबड़ा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th May, 2010

G.S.R. 455(E).—In exercise of the powers conferred by Explanation to sub-section (2) of Section 18A of the Central Sales Tax Act, 1956 (74 of 1956), the Central Government hereby appoints the 1st June, 2010 as the appointed day for the purposes of the said sub-section (2) of Section 18 of the said Act.

[F. No. 3/2010-CST/F. No. 28/9/2006-(ST)]

R. G. CHHABRA, Under Secy.